

# समाहरणालय, पटना ।

(शस्त्र शाखा)

फोन न० 0612-2219545 (का०)  
फैक्स न०-0612-2218900  
Email : dampatnaarmssection@gmail.com  
dm-patna.bih@nic.in

## —: आदेश :-

23-01-2014

श्री निलेश कुमार, पिता—श्री साधु शरण सिंह, सा०—शंकरवाल टोली, थाना—मोकामा, जिला—पटना द्वारा एक एन०पी०बोर रिवाल्वर/पिस्टल की अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन पत्र वर्ष 2012 में समर्पित किया गया। आवेदक से प्राप्त आवेदन पर विविध शस्त्र वाद सं०—09-117/2012 कायम करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त कर दिनांक—23.01.2014 को सुनवाई की तिथि निर्धारित की गई।

निर्धारित तिथि को आवेदक का पक्ष सुना गया एवं अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया गया। सुनवाई के क्रम में आवेदक के द्वारा उपस्थित होकर बताया गया कि वे कृषक हैं और ठीकेदारी करते हैं। तदोपरान्त उनके द्वारा अपने जान-माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने का अनुरोध किया गया, परन्तु पूछने पर सुरक्षा भय के संबंध में कोई ठोस कारण नहीं बताया गया।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के पत्रांक—1390/गो०, दिनांक—09.11.2012 द्वारा आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को जाँचोपरान्त मात्र अग्रसारित किया गया है। कोई अनुशंसा अंकित नहीं की गयी है। अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, बाढ़ द्वारा पुलिस निरीक्षक—सह—थानाध्यक्ष, मोकामा के मंतव्य के आलोक में आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को मूल में संलग्न कर अग्रसारित करते हुए भेजा गया है। थानाध्यक्ष, मोकामा द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक कृषक हैं और व्यवसाय करते हैं। आवेदक एक सम्भ्रान्त व्यक्ति हैं। मोकामा बाजार स्थित उनका श्याम मार्केट है। पूर्व में उनके परिवार पर हमला करने की बात प्रतिवेदित की गई है, लेकिन ना तो परिवार को स्पष्ट किया गया है और ना ही घटना के संबंध में कोई अन्य जानकारी दी गई है। साथ ही आवेदक के नाम से पूर्व में शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत होने के संबंध में प्रतिवेदित किया गया है कि उन्हें 0.315 बोर रायफल की अनुज्ञप्ति प्राप्त है, जिसकी अनुज्ञप्ति सं०—295/2006, थाना—मोकामा है। आवेदक के आवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक के द्वारा इस तथ्य को छिपाया गया है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13 (2) एवं 13 (2A) में अंकित है कि “आवेदन की प्राप्ति पर, अनुज्ञापन प्राधिकारी उस आवेदन पर निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक ऑफिसर की रिपोर्ट मंगवाएगा और ऐसा ऑफिसर अपनी रिपोर्ट विहित समय के भीतर भेजेगा। अनुज्ञापन प्राधिकारी ऐसी जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात्, जैसा वह आवश्यक समझे, और उप-धारा (2) के अधीन प्राप्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अध्याय के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, लिखित आदेश द्वारा अनुज्ञप्ति या तो अनुदत्त करेगा या अनुदत्त करने से इन्कार करेगा :


परन्तु जहाँ निकटतम पुलिस थाने का भारसाधक ऑफिसर आवेदन पर विहित समय के भीतर अपनी रिपोर्ट नहीं भेजता है, वहाँ यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी ठीक समझे तो वह विहित समय के अवसान के पश्चात्, उस रिपोर्ट की और प्रतीक्षा किए बिना ऐसा आदेश कर सकेगा।”

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदक के आवेदन एवं उनके द्वारा उपस्थित होकर रखे गये तथ्यों एवं अभिलेख पर संधारित कागजातों के सूक्ष्मता पूर्वक अवलोकन के पश्चात अधोहस्ताक्षरी इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि आवेदक को सुरक्षा के बिन्दु पर भय/खतरा को देखते हुए उन्हें वर्ष 2006 में ही एक एन0पी0बोर रायफल की अनुज्ञप्ति निर्गत की जा चुकी है तथा इसके अतिरिक्त अन्य शस्त्र की अनुज्ञप्ति निर्गत करने का कोई यथेष्ट कारण नहीं है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13, शस्त्र नियम 1962 में निहित शक्तियों एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त आवेदक श्री निलेश कुमार, पिता-श्री साधु शरण सिंह, सा0-शंकरवाल टोली, थाना-मोकामा, जिला-पटना के आवेदित एक एन0पी0बोर रिवाल्वर/पिस्टल अनुज्ञप्ति आवेदन-पत्र को अस्वीकृत किया जाता है।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।



जिला दण्डाधिकारी,  
पटना।



जिला दण्डाधिकारी,  
पटना।